झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–681/2019– 34/19.20 ए. ए./राँची, दिनांक 26.08.19

प्रेषक,

श्री अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **बक्सा जलाशय योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृति रू० 5942.36 लाख के सापेक्ष इससे 19.39% अधिक की राशि सहित कुल रू० 7094.67 लाख (रूपये सतर करोड़ चौरानबे लाख सड़सठ हजार) मात्र के कराये गये कार्य पर होने वाले व्यय हेतु संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. बक्सा जलाशय योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू. 5942.36 लाख (रू. उनसठ करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक– 2/PMC/कार्य–427/2016–75/15–16 प्र०स्वी० दिनांक 29.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी थी।
3. उक्त पुनरूद्धार कार्य हेतु पूरक एकरारनामा सहित कुल एकरारित राशि रू० 6645.27 लाख है। वास्तविक संपादित कार्य के विरूद्ध भुगतेय राशि रू० 7094.67 लाख है। कार्य दिनांक 20.09.2018 को पूर्ण हो गया है। इस पुनरूद्धार कार्य हेतु कुल रू० 1184.06 लाख का भुगतान किया जाना शेष है।
4. मार्च 2018 तक योजना पर व्यय 3880.36 लाख है एवं इस कार्य हेतु Online स्वीकृत्यादेश संख्या– 2260 दिनांक 26.02.2018 द्वारा रू० 2062.36 लाख का ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश बजट शीर्ष 49S-4701-80-800-54-05-45 में निर्गत है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2018–19 में सिविल कार्य हेतु रू० 1999.98 लाख तथा यांत्रिक कार्य हेतु रू० 30.27 लाख का व्यय हुआ है। इस प्रकार उक्त योजना पर मार्च 2019 तक रू० 5910.61 लाख का व्यय किया गया है।

   इसके अलावे वर्त्तमान में रू० 1184.06 लाख का भुगतान बाकी है। इस राशि को जोड़ने से कार्य की लागत राशि रू० 7094.67 लाख (5910.61 + 1184.06) हो जाती है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू० 5942.36 लाख से 19.39% अधिक है एवं अनुमान्य अधिसीमा 20% के अधीन है।
5. इस प्रकार अवशेष राशि निर्गत किये जाने हेतु रू० 1184.06 लाख राशि का Online स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाना है, जिसके विरूद्ध बजट राशि की उपलब्धता के आलोक में वर्ष 2019–20 में आबंटन बजट शीर्ष 49S-4701-80-800-54-05-45 से निर्गत किया जा सकेगा।
6. पूर्व में विभागीय पत्रांक–2/PMC/कार्य–427/2016–75/15–16 प्र०स्वी० दिनांक 29.03.2016 द्वारा रू. 5942.36 लाख के लिए निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश को कार्य की वर्त्तमान लागत रू० 7094.67 लाख के लिए संशोधित किया जाता है, जिसका अवयववार विवरणी निम्नवत् है –

(राशि लाख रूपये में)

Sl..	Sub Head	As per Approved A.A. (in Lakh)	As per Revised working estimate (Civil works)	Work Done
1	2	3	4	6
1	A-Preliminary	21.00	0.00	0.00
2	C- Works	200.81 (33.84 लाख यांत्रिक कार्य सहित)	280.07	280.07
3	D- Regulator	55.00	229.56	229.56
4	E- Fall	6.44	0.00	0.00
5	F- C.D. Works	105.01	825.38	825.38
6	G- Bridges	21.21	800.91	800.91
7	H- Escape	6.82	75.40	75.40
8	K- Building	12.15	26.34	26.34
9	**L-Earth Works**			
(i)	Earth Work	592.43	906.11	894.11
(ii)	Lining	4784.09	3410.92	3410.92
10	M- Plantation	9.51	0.00	0.00
11	O- Miscllaneous	67.00	24.79	24.79
12	P-Maintenance	0.00	0.00	0.00
13	Q- Special T&P	10.50	0.00	0.00
14	U- Distributaries	0.00	0.00	0.00
15	V- Water Courses	50.40	0.00	0.00
16	Y- Loss in Stock	0.00	0.00	0.00
	Total :-	**5942.37**	**6579.48**	**6567.48**
17	Labour Cess 1%	0.00	65.79	65.67
	Total :-	**5942.37**	**6645.27**	**6633.15**
18	Contingencies	0.00	6.94	6.94
19	Price Escalation Adjustment	0.00	419.96	419.96
	Total :-	**5942.37**	**7072.17**	**7060.05**
20	Mechanical work		37.42	34.62
	Grand Total :-	**5942.37**	**7109.59**	**7094.67**

7. इस योजना पर होने वाला शेष व्यय रू० 1184.06 लाख मात्र बजट शीर्ष " मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड–49S-4701-80-800-54-05-45)। इसके अनुसार शेष भुगतेय राशि रू० 1184.064 लाख का ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।
8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, बरही होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
9. इस कार्य हेतु निधि की निकासी हजारीबाग कोषागार से की जायेगी।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०—हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
26.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—681/2019— 34/19.20 प्र.स्त्री **/राँची, दिनांक** 26.08.19

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—681/2019— 34/19.20 प्र.स्त्री **/राँची, दिनांक** 26.08.19

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—681/2019— 34/19.20 प्र.स्त्री **/राँची, दिनांक** 26.08.19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, बरही/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेष प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेष निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रषाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—681/2019— 34/19.20 प्र.स्त्री **/राँची, दिनांक** 26.08.19

प्रतिलिपि :— आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—681/2019— 34/19.20 प्र.स्त्री **/राँची, दिनांक** 26.08.19

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/08/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)